भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2356

उत्तर देने की तारीख: 09.05.2016

19 वैशाख, 1938 (शक)

विद्यालयों में त्रिभाषा नीति

2356. श्री दुष्यंत चौटालाः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार विद्यालयों में संस्कृत शिक्षा को अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(ख) क्या सरकार का विचार त्रिभाषा नीति को परिवर्तित करने का है, जहां विद्यार्थी विद्यालयों में अंग्रेजी, हिन्दी और अपनी स्थानीय भाषा को सीखते हैं;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(घ) क्या त्रिभाषा नीति देश में संचार के समान माध्यम को निर्मित करने में सफल रही है; और
(ङ) राज्य-वार विद्यालयों में अंग्रेजी और हिन्दी पढ़ने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशतता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) और (ख): वर्तमान में ऐसे कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): त्रिभाषा सूत्र का मुख्य उद्देश्य भाषाई समरसता और तीनों भाषाओं के अध्ययन के लिए व्यवस्था करते हुए स्कूल शिक्षा में भाषाओं के बीच समानता को प्रोत्साहित करना है।

(ङ.): वर्तमान में मंत्रालय में ऐसा कोई आंकड़ा नहीं रखा जाता।